कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी, जनपद हरदोई।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/जिला योजना वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत कृषकों के चयन सम्बन्धी सूचना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिला योजना हेतु आधार पौधशालाओं के अधिष्ठापन, प्रक्षेत्र प्रदर्शन, कृषि यन्त्रों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के वितरण तथा गन्ना उत्पादकता पुरूस्कार वितरण हेतु लाभार्थियों का चयन किया जाना हैं। इच्छुक गन्ना कृषक योजनाओं का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग की बेवसाइट **http/www.upagriculture.com/registration. page.html** पर गन्ना विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करालें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ उठावे।

उपुर्यक्त योजनान्तर्गत गन्ना कृषकों को निम्न अनुदान देय होगें:–

01–आधार पौधशाला अधिष्ठापन – गन्ना शोध केन्द्र/गन्ना सम्बर्द्धन परिक्षेत्र से अभिजनक गन्ना बीज लेने वाले कृषकों (एक कृषक अधिकतम 25 कु0 गन्ना बीज ले सकता है) के प्रक्षेत्रों पर आधार पौधशाला अधिष्ठापित की जायेगी। कृषक को आधार पौधशाला में उत्पादित गन्ना बीज वितरण करने पर पौधशाला धारक को रू0 50 प्रति कु0 अनुदान देय होगा।

02–प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन –कृषकों के प्रक्षेत्रों पर स्थापित शरद/बसन्त कालीन आधार पौधशालाओं से अधिकतम 50 कु0 गन्ना बीज लेने वाले कृषको के प्रक्षेत्रों पर पर प्राथमिक पौधशाला का अधिष्ठापन कराया जायेगा। कृषक को प्राथमिक पौधशाला मे उत्पादित गन्ना बीज के वितरण पर पौधशालाधारक को रू0 25 प्रति कु0 अनुदान देय होगा।

03–प्रक्षेत्र प्रदर्शन – क्षेत्र प्रदर्शन अधिष्ठापन पर सामान्य जाति के लिए 0.500 हेक्टेयर का प्रक्षेत्र (प्लाट) होना चाहिए जिस पर रू0 7500/– प्रति प्रदर्शन की दर से प्रति प्रदर्शन का अनुदान देय होगा। अनुसचित जाति/जनजाति के कृषकों के यहाँ 0.200 हे0 क्षेत्रफल का प्रदर्शन रखा जा सकता है जिस पर रू0 3000/– प्रति प्रदर्शन अनुदान दिया जायेगा । प्रदर्शन पर अनुदान का भुगतान फसल कटाई परिणाम के आधार पर जनपद की औसत उपज से न्यूनतम 25 प्रतिशत अधिक उपज प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।

04–सूक्ष्म पोषक तत्वों व बीज/भूमि उपचार– भूमि की उर्वरा शक्ति बढाने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व व गन्ना फसल सुरक्षार्थ बीज/भूमि उपचार हेतु कृषकों का मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 500/– प्रति0 हे0 अनुदान देय होगा।

05–गन्ना उत्पादक कृषको को निम्न अनुदान पर कृषि यन्त्रों का वितरण किया जायेगा:–

(अ) मानव चालित यन्त्रों (जैसे–स्प्रेयर, डस्टर,हैड्हो इत्यादि) हेतु अनुदान कीमत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 500–00 प्रति यन्त्र।

(ब) पशुचालित यन्त्रों (जैसे–हैरों, कल्टीवेटर, मिट्टी पलटने वाला हल इत्यादि) हेतु अनुदान कीमत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 2500–00 प्रति यन्त्र।

(स) शक्ति चालित उन्नतिशील कृषि यन्त्र/ट्रैक्टर चालित यन्त्रों हेतु अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिक रू0 30000–00 प्रति यन्त्र।

06–गन्ना उत्पादकता पुरूस्कार–कृषको को जिला/मण्डल/परिक्षेत्र एवं राज्य स्तर पर प्रोत्साहित करने हेतु पेडी एवं पौधा अधिकतम उपज पर पृथक पृथक प्रथम एवं व्दितीय पुरूस्कार निम्न विवरण के अनुसार दिये जायेगे–

कम सं0	स्तर	प्रवेश शुल्क	पुरूस्कार की धनराशि (रू0मे)	
			प्रथम	व्दितीय
1	जिला स्तर पर	150.00	25000.00	15000.00

07–गन्ना बीज यातायात – गन्ना शोध केन्द्रो से आधार पौधशाला की स्थापना हेतु गन्ना बीज लाने पर कृषकों को रू0 15/– प्रति कु0 एवं आधार पौधशाला से प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन हेतु गन्ना बीज ले जाने हेतु रू0 7/– प्रति कु0 की दर बीज यातायात के रूप मे देय होगा।

08–जैव उर्वरक– मृदा उर्वरक्ता व स्वास्थ में सुधार हेतु जैव उर्वरक के वितरण पर कृषकों को मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 600/–प्रति हे0 की दर से अनुदान देय होगा।

09–पेडी प्रबन्धन–गन्ने की फसल पर यूरिया छिडकाव मे प्रयुक्त होने वाली कीटनाशक के मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 150/–प्रति हे0 की दर से अनुदान देय होगा।

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन)

गन्ना के साथ सह–फसल दलहन, तिलहन धान्य फसलों के उत्पाद पर कृषकों की आय मे वृद्वि व खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सहफसल की खेती करने पर गन्ना किसानों को रू0 8000/– प्रति है0 की दर से प्रदर्शन स्थापित करने पर अनुदान देय होगा।

(आत्मा योजना)

आत्मा योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन अधिष्ठापन हेतु 0.400 हेक्टेयर की स्थापना पर लाभार्थी कृषक को रू0 4000/– प्रति की दर से प्रदर्शन स्थापित करने पर अनुदान देय होगा।

(पर ड्राप मोर काप योजना)

"पर ड्राप मोर काप योजना" मे उद्यान विभाग के अन्तर्गत ड्रिप सिचाई संयन्त्र की स्थापना पर अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को 90 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप पिछडे अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

1.कृषक गन्ना समिति का वैधानिक आपूर्तिकर्ता सदस्य हो।
2.कृषक गन्ने की खेती करता हो।
3.कृषक पर गन्ना समिति का एक वर्ष से अधिक पुराना बकाया न हो।

रूपापुर/हरियांवा/लोनी/वघौली
मो0नं0 7081202540, 7081202529, 7081202521

जिला गन्ना अधिकारी
हरदोई।
7081202233